

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेव सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत शर्तों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

रफाल रिजर्वकी केवल झावालीच ज्योत्सनाधि
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (J + 1 झावालीच)

आवेदन क्रमांक 146 दिनांक 26/06/2019

प्राचीन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश किये गये संख्या 1028/3090/3091 का जमा करा है।

शशिद स्वामिनी श्री कालिदास
PNo. 153 सेक्टर 'बी' बुजला नैरक
जगर दिल्ली विहार जोधपुर

प्राचीन
नगर निर्माण, जोधपुर

गो लम माथुर
सहायक नगर निर्माण
नगर निगम, जोधपुर